



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 14.01.2025

विषय:- पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त बब्लू शर्मा थाना सारनाथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के कुशल नेतृत्व में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 35/2025 धारा 74,109(1),352,351(3) व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बब्लू शर्मा पुत्र स्व0 नागेश्वर शर्मा निवासी किराए का मकान निकट प्रताप स्कूल अशोक बिहार कालोनी फेज 2 थाना सारनाथ वाराणसी को आज दिनांक- 14.01.2025 को समय करीब 14.05 बजे अशोक बिहार कालोनी से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 14.01.2025 को वादिनी मुकदमा ने 15 वर्षीय पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा जोर जबरदस्ती करने तथा मना करने पर गाली गलौज व धमकी देते हुए जान से मारने का प्रयास करने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके आधार पर थाना सारनाथ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसके विवेचना उ.नि. अमृतराज द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- बब्लू शर्मा पुत्र स्व0 नागेश्वर शर्मा निवासी किराए का मकान निकट प्रताप स्कूल अशोक बिहार कालोनी फेज 2 थाना सारनाथ वाराणसी उम्र करीब 47 वर्ष।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक 14.01.2025 को समय करीब 14.05 बजे, अशोक बिहार कालोनी से।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 35/2025 धारा 74,109(1),352,351(3) व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमृत राज, हे0का0 विनय कुमार मिश्रा, हे0का0 लल्लन यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी